कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—2198 /11—सी—FP/UP/Disp/49674/2020, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 24 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कं0नं0 14अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, आर0ओ0 एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक—683/11—सी—FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांक 27.08.2021, भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/09/228/2021/एफ0सी0/474, दिनांक 22.10.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक—3154/मी0क्षे0/33, दिनांक 11.01.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27.08.2021 (संलग्नक—1) के द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित किया गया था, जिसमें भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.10.2021 (संलग्नक—2) के द्वारा विषयगत प्रकरण में निम्न निर्देश दिये गये हैः—

"The Proposal is rejected on grounds of merit since proposals of non site specific project on forest land are normally not entertained as per FCA guidelines."

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने उपरोक्त संदर्भित दिनांक 11.01.2022 (संलग्नक—3) के द्वारा विषयगत प्रकरण में पुनर्विचार के संबंध में सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में पुनर्विचार करने हेतु उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को पत्र लिखने की कृपा करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2198 /11—सी—FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को संलग्नक सहित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट—सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।